भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3279

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से राशन का वितरण

3279. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से राशन का वितरण (टीएचआर) प्राप्त करने वाली गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) पोषण ऐप के माध्यम से आधार-आधारित चेहरे का प्रमाणीकरण वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत कितना है और, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वर्तमान कुल संचयी संख्या कितनी है;

(ग) क्या चेहरे से प्रमाणीकरण अनिवार्य है (दिनांक सहित आदेश/परिपत्र) या प्रयोगिक चरण में है और जिलों के चयन के मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण ऐप अपलोड को प्रभावित करने वाली कोई समस्या बताई गई है जो विशिष्ट नेटवर्क/डिवाइस/एप्लिकेशन को प्रभावित करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि किसी भी लाभार्थी को तकनीकी खराबी के कारण टीएचआर से वंचित न किया जाए; और

(ड.) एकत्रित बायोमेट्रिक डेटा की सुरक्षा, सहमति, उद्देश्य को सीमित करना, अवधारण, पहुंच नियंत्रण और गोपनीयता की संपरीक्षा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): 15वें वित्त आयोग के तहत, कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष

की आयु) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी तथा पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जहाँ विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्व-चयनित व्यापक योजना है जहाँ किसी भी लाभार्थी के लिए पंजीकरण और सेवाएँ प्राप्त करने में कोई प्रवेश बाधा नहीं है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में संशोधित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे; तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों के आधार पर पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जो गुणवत्ता वाले प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं। वित्तीय वर्ष 25-26 की पहली तिमाही के पोषण ट्रैकर डेटा के अनुसार जिन गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पूरक पोषण भेजा जा रहा है, उनकी संख्या का विवरण **अनुलग्नक- I** में दिया गया है। लाभार्थियों की संख्या, पिछली तिमाही के पहले महीने के अंतिम दिन पोषण ट्रैकर पर रिपोर्ट किए गए आधार-सत्यापित लाभार्थियों की संख्या में से ऑप्ट-आउट लाभार्थियों को घटाकर निर्धारित की जाती है।

(ख) से (ड.): शुरूआत में, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) मॉड्यूल को अगस्त 2024 में प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया था। इसे दिसंबर 2024 में वैकल्पिक आधार पर पूरे भारत में लागू किया गया था। तब से, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कर्तव्यधारकों को लाभार्थियों को चेहरे की पहचान करने और आधार डेटाबेस के साथ सत्यापित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। 1 जुलाई 2025 से इसे पात्र अंतिम लाभार्थी तक टेक-होम राशन की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। एफआरएस मॉड्यूल को पोषन ट्रैकर एप्लिकेशन के भाग के रूप में तैयार किया गया है। आधार पहचान के माध्यम से लाभार्थी का सत्यापन करने के लिए, लाभार्थी की लाइव फोटो को कैप्चर करने के साथ-साथ ईकेवाईसी किया जाता है। पोषण ट्रैकर पर यह ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया लाभार्थी के जीवनकाल में एक बार की जाती है। मासिक आधार पर टेक-होम राशन का लाभ उठाने के लिए, फेस मैचिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में की जा सकती है तथा दुबारा ईकेवाईसी की जरुरत नहीं होती है। कम डिजिटल कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों को देखते हुए ऑफलाइन पद्धति शुरू की गई है। फेसिअल रिकॉग्निशन फीचर लो वर्जन एंड वाले फ़ोनों में भी उपलब्ध करायी गई है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल आधार में कोई बायोमेट्रिक डेटा नहीं होता है; इसलिए, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए, माता/पिता/अभिभावक का एफआरएस किया जा रहा है, न कि बच्चे का।

05 अगस्त 2025 तक, टेक होम राशन (टीएचआर) के लिए पंजीकृत 4.91 करोड़ पात्र लाभार्थियों में से 3.69 करोड़ टीएचआर लाभार्थियों का फेस कैप्चरिंग और ई-केवाईसी (लगभग 75.12%) पूरा हो चुका है। 05 अगस्त 2025 तक टीएचआर के लिए पात्र और अपना फेस कैप्चरिंग और ई-केवाईसी पूरा कर चुके लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

एनईजीडी राज्य समन्वयकों द्वारा नियमित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन सत्र आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा, तकनीकी कठिनाइयों को समझने और उनका समाधान करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरे और राज्य अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें भी की गई हैं।

सिस्टम में विभिन्न डेटा सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

- लाभार्थी का एकत्रित किया गया डेटा सभी मौजूदा डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के अधीन होता है, जिसमें सीमित उद्देश्य, सूचित सहमति और सीमित पहुँच शामिल हैं।
- फेस वेरिफिकेशन से संबंधित सभी अनुरोध और प्रतिक्रियाएँ ट्रांज़िट के दौरान एन्क्रिप्ट की जाती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि डेटा को इंटरसेप्शन या छेड़छाड़ से बचाया जा सके।
- डिवाइस पर कोई भी चित्र या डेटा स्थायी रूप से संग्रहीत नहीं होता है। एहतियात के तौर पर, जब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एप्लिकेशन से लॉग आउट करती हैं, तो सभी कैश्ड या अस्थायी डेटा स्वचालित रूप से मिट जाता है।
- निजी डेटा सार्वजनिक रूप से सुलभ नहीं होता है; यह केवल सत्यापन उद्देश्यों के लिए अधिकृत कर्मियों के लिए ही उपलब्ध होता है।
- पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन का उपयोग आमतौर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा किया जाता है और यह जनता या किसी अनधिकृत पक्ष के लिए अधिकृत नहीं है। पहुंच भूमिका-आधारित है तथा दुरुपयोग को रोकने के लिए लॉग्ड और निगरानी की जाती है।
- इसके अलावा, एप्लिकेशन का आंतरिक डेटाबेस एन्क्रिप्टेड होता है, जिससे ऐप के बाहर संवेदनशील जानकारी तक एक्सेस को रोका जा सकता है।
- सुरक्षित प्रक्रिया और प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए फेस इमेजेज को ऐप के भीतर एन्कोडेड प्रारूप में प्रबंधित किया जाता है।

****

अनुलग्नक-I

श्री सप्तगिरि शंकर उलाका द्वारा पूछे गए "आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से राशन का वितरण" के विषय पर दिनांक 08.08.2025 के लोकसभा प्रश्न संख्या 3279 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की संख्या का विवरण, जिनके लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए पूरक पोषण प्रदान किया जा रहा है, निम्नानुसार है;

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं**
1	आंध्र प्रदेश	457921
2	बिहार	1303166
3	छत्तीसगढ़	340451
4	गोवा	8685
5	गुजरात	457810
6	हरियाणा	256160
7	झारखंड	352302
8	कर्नाटक	669253
9	केरल	226788
10	मध्य प्रदेश	954001
11	महाराष्ट्र	754318
12	ओडिशा	554701
13	पंजाब	204284
14	राजस्थान	673563
15	तमिलनाडु	610932
16	तेलंगाना	293402
17	उत्तर प्रदेश	2850060
18	पश्चिम बंगाल	1138312
19	दिल्ली	141263
20	पुद्दुचेरी	7691
21	हिमाचल प्रदेश	75635

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं
22	जम्मू एवं कश्मीर	112432
23	उत्तराखंड	131129
24	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1783
25	संघ राज्य क्षेत्र-चंडीगढ़	7311
26	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	5959
27	लद्दाख	2422
28	लक्षद्वीप	795
29	अरुणाचल प्रदेश	4818
30	असम	309595
31	मणिपुर	20767
32	मेघालय	39865
33	मिजोरम	12192
34	नागालैंड	3591
35	सिक्किम	3489
36	त्रिपुरा	33620

अनुलग्नक-II

श्री सप्तगिरि शंकर उलाका द्वारा पूछे गए "आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से राशन का वितरण" के विषय पर दिनांक 08.08.2025 के लोकसभा प्रश्न संख्या 3279 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

टीएचआर के लिए पात्र लाभार्थियों और जिन्होंने अपना फेस कैप्चर और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है, का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण इस प्रकार है:

एस.एन.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल पात्र लाभार्थी**	**कुल फेस कैप्चर + ईकेवाईसी (एन)**	**कुल फेस कैप्चर + ईकेवाईसी (%)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8233	6848	83.18
2	आंध्र प्रदेश	1541251	1459328	94.68
3	अरुणाचल प्रदेश	47927	14132	29.49
4	असम	1581495	1242723	78.58
5	बिहार	5383275	3851780	71.55
6	छत्तीसगढ़	1287755	1150313	89.33
7	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	20651	17730	85.86
8	दिल्ली	457226	429438	93.92
9	गोवा	35341	30443	86.14
10	गुजरात	1773624	1262970	71.21
11	हरियाणा	832270	653613	78.53
12	हिमाचल प्रदेश	278721	262848	94.31
13	जम्मू और कश्मीर	453832	321578	70.86
14	झारखंड	1613004	943551	58.50
15	कर्नाटक	2284001	2158911	94.52
16	केरल	856882	558215	65.14
17	लद्दाख	9549	7284	76.28
18	लक्षद्वीप	3325	2972	89.38
19	मध्य प्रदेश	3369660	2828899	83.95
20	महाराष्ट्र	2943966	2705717	91.91
21	मणिपुर	149839	105604	70.48
22	मेघालय	227423	97721	42.97
23	मिजोरम	61606	53366	86.62
24	नागालैंड	58240	16364	28.10

25	ओडिशा	2042986	1783135	87.28
26	पुद्दुचेरी	30201	24182	80.07
27	पंजाब	820270	525942	64.12
28	राजस्थान	2177151	1910690	87.76
29	सिक्किम	14993	7092	47.30
30	तमिलनाडु	2052158	1415731	68.99
31	तेलंगाना	1116108	779654	69.85
32	त्रिपुरा	164009	124973	76.20
33	संघ राज्य क्षेत्र-चंडीगढ़	22419	21687	96.73
34	उत्तर प्रदेश	10771468	8902968	82.65
35	उत्तराखंड	472776	405620	85.80
36	पश्चिम बंगाल	4184540	839279	20.06
	कुल	49148175	36923301	75.12

****